

न्यायालय :- षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 रायपुर छ0ग0

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय
जिला रायपुर छ0ग0

विषय:- प्रकरणों की सूची तैयार किये जाने बाबत ।


संदर्भ :- कार्यालय पृ0क्रमांक /दो --12--5 /2009 रायपुर दिनांक
01.09.2017

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में इस न्यायालय के समक्ष दस वर्षों से अधिक समय से लंबित व्यवहारवादों की विशेष सूची तैयार की गयी है जिन्हें दिन-प्रतिदिन साक्ष्य हेतु नियत किया जावेगा जब तक उभयपक्ष का साक्ष्य न हो जावे । इस विशेष सूची में उल्लेखित प्रकरणों में बाध्यकारी कारणों के अलावा स्थगन पूर्ण किया जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जावेगा ।

तदनुसार अस्थायी विशेष प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु आपके अपलोकनार्थ सादर प्रेषित है ।

क्रं	प्रकरण क्रं	पक्षकार का नाम	वादी अधिवक्ता का नाम	प्रतिवादी अधिवक्ता का नाम	संस्थित दिनांक	पेशी दिनांक	वर्तमान स्थिति
1	व्यवहार वाद क 2ए/2006	राधेश्याम वि0 गुरुद्वारा	के0के महोबिया	श्री गणेश साहू श्री सत्येन्द्र ठाकुर	16.01.05	09.11.17	वादी साक्ष्य
2	सिविल सूट 407/02	संजय कुमार वि0 में0 यशवंत	श्री ए0के0 पंसारी	श्री राजीव शर्मा	21.02.94	07.11.17	वादी साक्ष्य
3	सिविल सूट 406/02	जयनारायण वि0 यशवंत	श्री ए0 के0पंसारी	श्री राजीव शर्मा	21.02.94	07.11.17	वादी साक्ष्य

दिनांक 03.11.2017


(विनय कुमार प्रधान)
षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
रायपुर (छ.ग.)

पृ० क्रमांक क्यू/न्यायालय
प्रतिलिपि:-

रायपुर दि. 03.11.2017

1. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, संबधित अधिवक्ता को सूचित करने तथा आवश्यकता होने पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड मे चस्पा किये जाने हेतु।
3. प्रस्तुतकार, काजलिस्ट बोर्ड मे चस्पा किये जाने हेतु।
4. कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय के वेबसाईट मे उपलब्ध कराये जाने हेतु।

नोट- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन मे इस न्यायालय के समक्ष पांच एवं दस वर्षो से अधिक समय से लंबित व्यवहार वाद एवं दांडिकप्रकरणों की विशेष सूची तैयार की गई है, उक्त प्रकरणों मे अंतिम निराकरण तक कोई स्थगन प्रदाय नहीं किया जावेगा और इस सूची के प्रकरणों को दिन-प्रतिदिन उभयपक्ष के साक्ष्य हेतु निरंतर तब तक नियत किया जावेगा, जब तक उभय पक्ष का साक्ष्य पूर्ण हो जावे व प्रकरण अंतिम रूप से सुना जाकर निराकृत किया जावे।

(विनय कुमार प्रधान,
षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
रायपुर (छ.ग.)